

एंडोसल्फान

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोसल्फान पेस्टीसाइड से प्रभावति पीड़ितों के उपचार हेतु उचिति कदम न उठाने पर केरल सरकार को फटकार लगाई है।




- न्यायालय ने कहा कि राज्य की निषिकरणिता 'भयावह' है एवं शीर्ष न्यायालय के 2017 के फैसले का उल्लंघन है जिसने राज्य को तीन महीने में पीड़ितों के लिये 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।
- न्यायालय ने फैसले के पाँच साल बाद यह पाया कि 3,704 पीड़ितों में से केवल आठ लोगों को ही मुआवज़ा दिया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए देश भर में एंडोसल्फान के नरिमाण, बकिरी, उपयोग और नरियात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एंडोसल्फान:

- एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरनि कीटनाशक है जिसे पहली बार वर्ष 1950 के दशक में पेश किया गया था और इसे आमतौर पर इसके वाणिज्यिक नाम थथिओडन से जाना जाता है।
- यह कई गंभीर चकितिसा स्थितियों से संबंधित है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, शारीरक वक्रिति, विषाक्तता आदि।
- सफेद मक्खी, एफलिस, भूंग, कीड़े आदिकीटों के नियन्त्रण के लिये कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू जैसी फसलों पर इसका छड़िकाव किया जाता है।
- एंडोसल्फान को पूर्व सूचित सहमतिपर [रॉटरडेम अभसिमय](#) और [स्थायी कारबनकि प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभसिमय](#) दोनों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

एंडोसल्फान के प्रभाव:

- **प्र्यावरणीय प्रभाव:**
 - प्र्यावरण में एंडोसल्फान खाद्य शुंखलाओं में समाहिति हो जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर समस्याएँ पैदा होती हैं।
 - यदि एंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है, तो यह तलछट में अवशोषित होकर जलीय जीवों को प्रभावित कर सकता है।
- **मनुष्य और पशु:**
 - एंडोसल्फान के अंतर्ग्रहण के परणामस्वरूप शारीरक वक्रिति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार और मस्तिष्क एवं तंत्रका तंत्र संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं।



रॉटरडैम कन्वेंशन 1998:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार से नपिटने हेतु वभिन्न देशों के बीच सहयोग और उत्तरदायतित्व साझा करने के उपायों को बढ़ावा देना है।
- पूरव सूचति सहमति(PIC) इस कन्वेंशन की मुख्य वशिष्टता है और यह पारटी के सदस्यों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- PIC पक्षों के सदस्यों के बीच प्रकृत और व्यापार से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- यह कन्वेंशन पूरव सूचति सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिये दायतिव का निर्माण करता है।

स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य लगातार कार्बनकि प्रदूषकों (PoP) की सांदरता को कम करना है जो कीरिसायनकि पदारथ हैं और न केवल लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं बल्कि जैव-संचय की क्षमता भी रखते हैं।
- कन्वेंशन ने 12 PoPs को 'डर्टी डज़न' के रूप में सूचीबद्ध किया है।

स्रोत: द हिंदू